

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक-प्र/2/266/2018/20-3  
प्रति,

भोपाल, दि 02.16/2018

सचिव  
सी0बी0एस0ई0  
नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था को सी0बी0एस0ई0नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संस्था-देहली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल आष्टा, जिला सीहोर, म0प्र0 को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

- (1) प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी है, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सकें इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म0प्र0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाये।
- (2) विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छत्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखा जाये।
- (3) इस संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- (4) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
- (5) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।
- (6) प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेलो आदि का आयोजन में सहयोग एवं सार्यक भूमिका प्रदान करेंगे।
- (7) अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।

निरन्तर..2

सचिव  
जाइंट सफर्ट सोसायटी

Principal  
Dehli World Public School Ashta  
Distt Sehore (M.P.)

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक- //1266/2018/20-3  
प्रति,

भोपाल, दि० 15/2/2019

सचिव  
सी०बी०एस०ई०  
नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत्।

संदर्भ:- इस विभाग का आदेश/पत्र क्रमांक-902/1266/2018/20-3, दि० 28.6.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश/पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/ निर्देशानुसार, निवेदन है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संस्था-देहली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल आष्टा, जिला सीहोर, म०प्र० को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, के स्थान पर अशासकीय संस्था का नाम "देहली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल आष्टा" जिला सीहोर, म०प्र० पढ़ा जाय। शेष आदेश यथावत्।

(के०के०द्विवेदी)

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक- //1266/2018/20-3

भोपाल, दि० 15/2/2019

प्रतिलिपि:-

- (1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।
- (2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।
- (3) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग ....., म०प्र०
- (4) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-सीहोर, म०प्र०
- (5) निज सहायक, मान० मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
- (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-देहली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल आष्टा, जिला सीहोर, म०प्र०
- (7) फोल्डर प्रति


सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित।

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

- (8) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तकें एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से कय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से कय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
- (9) शिक्षण संस्थाओं में मान० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा।
- (10) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल०पी०जी० आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
- (11) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
- (12) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।
- 2/ उपर्युक्तानुसार शर्तों का पालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(कलावती उडके)

अवर सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


भोपाल, दि० 28/6/2018

907  
पृ० क्रमांक- /1266/2018/20-3  
प्रतिलिपि:-

- (1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।  
(2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।  
(3) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग ....., म०प्र०

11311

- (4) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-सीहोर, म०प्र०  
 (5) निज सहायक, मान० मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।  
 (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-देहली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल आष्टा, जिला  
 सीहोर, म०प्र०  
 (7) फौलडर प्रति  
 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।




अवर सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग



सचिव  
 ज्वाइंट अफ्टर सोसायटी



20.2.23

Principal

Delhi World Public School Ashia  
 Distt. Sehore (M.P.)